# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 07.11.2020

## शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–45 व्यक्तियों को अन्र्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

## अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

### 01 थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. भगौती सोनकर पुत्र सीताराम नि0 वन पुरवा मौजा खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–343/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## 02 अदद नाजायज चाकू बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने गस्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों–01. रमेश यादव पुत्र दुर्गा प्रसाद नि0 रामपुर टेंगरहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा, 02. प्रदीप यादव पुत्र खन्नू नि0 रामपुर टेंगरहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01–01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तों को थाना तरबगंज में मु0अ0सं0–369/20, 370/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## अश्लील हरकत करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने अश्लील हरकत करने के आरोपी अभियुक्त रहमत अली पुत्र शौकत अली नि0 खुर्दा पैकोलिया जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त नयन जोतिया काली माता मंदिर में आने जाने वाली महिलाओं को देख कर अश्लील गाने व अश्लील हरकत कर रहा था। जिसको छपिया पुलिस ने पकड़कर थाना छपिया में मु0अ0सं0–449/20, धारा 294 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।